सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2012 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17 अक्तूबर, 2011 के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने का निदेश हुआ है, जो केन्द्रीय सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार **संशोधन-पूर्व वेतनमानों** में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में 01.07.2011 से महंगाई भत्ता संशोधित किए जाने के संबंध में है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.01.2012 से मौजूदा 127 प्रतिशत से बढ़कर 139 प्रतिशत हो जाएंगी। दिनांक 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की मदों को केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार कर चुके मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए।

सुभाष चन्द

(सुभाष चन्द)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

(ii) प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।